न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 24/2017 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2017/00145

उनवान

1. शंकर सिंह आयु करीब 25 वर्ष पुत्र रमुजी उर्फ रामजीलाल।
2. लोंग श्री आयु करीब 28 वर्ष पुत्री रमुजी उर्फ रामजीलाल।
3. मुकेश कुमार आयु करीब 30 वर्ष।
4. राकेश कुमार आयु करीब 40 वर्ष। } पुत्रगण रमुजी उर्फ रामजीलाल।
5. सोवरन सिंह आयु करीब 55 वर्ष।
6. संतो आयु करीब 45 वर्ष पुत्री रमुजी उर्फ रामजीलाल।
7. रामबाई आयु करीब 85 वर्ष वेवा रमुजी उर्फ रामजीलाल समस्त जातिगण दर्जी निवासीगण ग्राम परौआ, तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. घूरे पुत्र बेदरिया कौम तेली निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
2. नत्थी पुत्र मंगलिया।
3. रहीमुद्दीन उर्फ शाहरूखा पुत्र स्व0 श्री बुलाखी।
4. खिल्लो पुत्र रहीमा।
5. इस्माईल खॉ पुत्र रहीमा।
6. पप्पू खॉ पुत्र रहीमा।
7. सुल्तान खॉ पुत्र रहीमा।
8. फरीदा खॉ पुत्र रहीमा।
9. ताजुद्दीन पुत्र रहीमा

समस्त जातिगण तेली समस्त निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ, धौलपुर।

10. मुन्ना खॉ } पुत्रगण अल्लादीन
11. नत्थी }
12. शीला }
13. मुन्नी } पुत्रीगण अल्लादीन
14. आईशो }
15. जन्नत वेवा नब्बी खॉ
16. फैयाज पुत्र नब्बी खॉ
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

.....रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दि0 01.03.2008 डिक्री दिनांक 15.05.2017 प्र.सं. 84/2003 उनवानी अल्लादीन बनाम रमुजी उर्फ रामजीलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री योगेश कुमार शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री विनोद भार्गव उपस्थित।

निर्णय दिनांक–19.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय दिनांक 01.03.2008 व डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् इश्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं बॅटवारा काश्त तथा हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम परौआ तहसील सैपऊ में रैस्पो0/वादीगण के पिता मृतक श्री पतरे तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पिता मुलुआ का 1/2–1/2 हिस्सा था, जो रिकार्ड बन्दोबस्त से पूर्व बदस्तूर रहा है। इस प्रकार रैस्पो0/वादीगण उक्त विवादित आराजी में संयुक्त रूप से 1/2 भाग के काश्तकार हैं तथा हमेशा–हमेशा से अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व मौके पर काबिज हैं। उक्त आराजीयात समस्त बन्दोबस्त से पूर्व संवत 2010 से 2019 तक रैस्पो0/वादीगण के पूर्वज मृतक पतरे के नाम 1/2 भाग पर बदस्तूर दर्ज रही है तथा शेष 1/2 भाग पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के पिता मुलुआ व रामप्रसाद के नाम दर्ज रही है। रामप्रसाद लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उसका तर्का मुलुआ ने पाया है। किन्तु बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी में रैस्पो0/वादीगण के पिता पतरे का हिस्सा 1/2 को बिना किसी बैध आधार के गलती से कलमजद कर उनके स्थान पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी के नाम अंकित हो गया है। जिसका रैस्पो0/वादीगण को कोई इल्म नहीं था तथा उनकी बैक पर किया गया है। अतः इसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण विवादित आराजी से रैस्पो0/वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। अतः दावा पेश कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस पेश करते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पिता तथा चाचा ने कभी भी अपीलाधीन प्रकरण में अपनी सहमती/राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अपीलाण्ट के पिता वक्त सहमति/राजीनामा चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ थे तथाकथित राजीनामा फर्जी एवं कूटरचित राजीनामा है। अपीलाण्ट के पूर्वजों पर किसी भी प्रकार की सूचना नहीं थी एवं ना ही उन पर कोई नोटिस तामील हुआ है। रैस्पो0 ने साजिसन फर्जी व्यक्ति हाजिर अदालत कर फर्जी राजीनामा अपीलाण्ट की बैक पर प्रस्तुत करवाया था। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वज रामचन्द पुत्र लक्ष्मण की संवत 2016 के पूर्व से खातेदारी में अंकित थी जो कि उसने विधिक रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर कानून के प्रभाव से बतौर शिकमी तत्तकालीन खातेदारान से प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि आदेश 43 नियम 1(क)(2) सीपीसी में कहा गया कि समझौता लेखबद्ध करने के बाद, वाद पत्र में पारित डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी को अनुमति होगी। अपीलाधीन प्रकरण अपीलाण्ट की बैक पर अवैध रूप से तथा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित हुआ है। जिसको न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है तथा अपीलाधीन पत्रावली में संलग्न तथाकथित राजीनामा को निष्प्रभावी मानते हुए अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई के लिये तथा साक्ष्य के लिये मौका प्रदान किये जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रषित किया जाना न्यायोचित होगा। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2013(2) पेज 762, डीएनजे 2017(एस.सी.) पेज 145, 2017(2)(एस.सी.) पेज 416, एआईआर 1991(एस.सी.) पेज 2234, आरआरडी 1961 पेज 190, 1978 पेज 11, 1986 पेज 157 का उद्धरण पेश करते हुए, अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने लिखित बहस पेश करते हुए, जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट के पिता व चाचा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उन्होनें राजीनामा प्रस्तुत कर, मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की। अपीलाण्ट का यह कथन कि उनके पिता असाध्य रोग से पीडित थे। आधारहीन कथन है, इसके संबंध में उनके द्वारा कोई चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई। यदि राजीनामा फर्जी या कूटरचित था तो फिर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा को निरस्त कराने अथवा प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। धारा 96(3) में यह स्पष्ट है कि CONSENT DECREE के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अपीलाण्ट द्वारा 043 नियम 1(क)(2) सीपीसी की गलत व्याख्या की गई है। CONSENT DECREE को अपील में चुनौती दी जा सके ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रहन होने से राजीनामा विधि विरूद्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में मृत्यु से पूर्व अपीलाण्ट के पिता व चाचा राजीनामा प्रस्तुत कर चुके थे अर्थात उन्होने वाद को CONTEST नहीं किया जिस कारण उनके विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर लेने की आवश्यता नहीं थी। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंध में 022 नियम 4(4) सीपीसी के प्रावधान स्पष्ट हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014(2) पेज 842, आरआरडी 1990 पेज 20, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेज 142, 356, 446, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेज 462, एआईआर 1968 पेज 204 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मुताबिक राजीनामा डिक्री किया है। हमने राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया राजीनामा में अंकित है कि ''पक्षकारान के मध्य बाहमी तौर पर आपस में गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने राजीनामा करा दिया है तथा प्रार्थीगण पक्षकारान आपस में मुकदमा नहीं लडना चाहते हैं अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा दिनांक 11.09.2003 को तस्दीक किया जाकर पक्षकारान एवं उनके अभिभाषकगण की उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये गये हैं। अपीलाण्ट कथित राजीनामा को फर्जी व कूटरचित होना बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कथित राजीनामा का खण्डन होता हो। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। विवादित भूमि भू–प्रबन्ध (जमाबन्दी) संवत 2022 में मुलुआ, रामप्रसाद पिसरान रामचन्द जाति दर्जी सा0देह खातेदार दर्ज हैं। परन्तु जमाबन्दी संवत 2016 में विवादित आराजी पर मुलुआ, रामप्रसाद के पिता रामचन्द के साथ पतरे बल्द बुद्धा कौम तेली सा0देह वहिस्सा बराबर दर्ज हैं। जिससे जाहिर होता है कि उक्त परिवर्तन दौराने भू प्रबन्ध हुए हैं। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2008 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official